

सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना
कार्यालय सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर

एतद सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित विभागीय सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए निर्धारित तिथि- 30.07.2026 वितीय वर्ष 2026-27 के लिए खुला डाक से अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय 12:30 बजे अपराहन से कार्यालय परिसर में की जायेगी। डाक निलामी हेतु प्रथम निलामी की तिथि को डाक नहीं होने के स्थिति में अगली क्रमशः तिथि को डाक किया जाएगा। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बंदोबस्ती/डाक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

तिथि-30.07.2026, 01.08.2026, 05.08.2026	समय 12:30 बजे अपराहन	स्थान सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर के कार्यालय परिसर में
---	-------------------------	--

क्र०	सैरातों का नाम	खेसरा नं० / प्लॉट नं०	रकबा (एकड़-डी०)	न्यूनतम बोली की राशि (रु०)	जमानत की अग्रधन की राशि (रु०)	अभियुक्ति
1	तेतरहर (सिकरील) टेम्पू पड़ाव मुख्य नहर से दौये बक्सर के लिए खुलने वाले वाहनों के लिए।	16	0-22	448800	44880	
2	तेतरहर टेम्पू पड़ाव बसौली राजवाहा के बाँए खडैचा एवं कनझरुओं के लिए खुलने वाले वाहनों के लिए।	15	0-28	24500	2500	
3	पसहरा में गिट्टी एवं बालू रखकर विक्रय हेतु स्थल की बंदोबस्ती।	291	0-06	3800	400	
4	पसहरा टेम्पू स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	291	0-03	37000	4000	
5	पसहरा लॉक पर परिसर के बाहर नहर की जमीन पर बाजार की बंदोबस्ती।			21000	2500	
6	बड़का गाँव से नहर से पूरब जिप स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	346	0-02	2700	300	
7	खडैचा पुल से उत्तर जिप स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	471	0-02	2450	250	
8	बक्सर शाखा नहर के बाँये बैंक पर नारायणपुर पुल D/S में सब्जी बाजार की बंदोबस्ती।		0-11	44000	4500	
9	नारायणपुर पुल के पश्चिम एवं पूरब टेम्पू एवं जीप स्टैण्ड की बंदोबस्ती।	951,952, 953,980, 981,982	0-25	80700	8100	
10	बक्सर दूर संचार कार्यालय के पीछे की निलामी भाग का यानी दक्षिण से उत्तर	351	0-12	22110	2215	
11	बक्सर दूर संचार कार्यालय के पीछे की निलामी भाग का यानि उत्तर की ओर	351	0-12	14000	1245	
12	सोहनीपट्टी बक्सर में 11 नं० लॉक पर प्रेस क्लॉब के पूर्व की ओर प्रथम स्थल की बंदोबस्ती	321	0-08	3850	385	
13	सोहनीपट्टी बक्सर में 11 नं० लॉक पर प्रेस क्लॉब के पूर्व की ओर द्वितीय स्थल की बंदोबस्ती	321	0-2.75	4500	450	
14	सोहनीपट्टी बक्सर में 11 नं० लॉक पर प्रेस क्लॉब के पूर्व की ओर तृतीय स्थल की बंदोबस्ती	321	0-2.75	4500	450	
15	11 नं० लॉक पर बक्सर शाखा नहर से दाए तरफ स्थल की बंदोबस्ती।	321	0-2.75	4500	450	
16	बड़का गाँव मुख्य नहर पर सब्जी बाजार की निलामी	321	0-02	1600	160	
17	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पाटर्स की दुकान से आगे पूरब की ओर पीछे से प्रथम स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-2.50	5300	550	
18	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पाटर्स की दुकान से आगे पूरब की ओर पीछे से द्वितीय स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-02	5300	550	
19	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पाटर्स की दुकान से आगे पूरब की ओर पीछे से तृतीय स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-02	5300	550	
20	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पाटर्स की दुकान से आगे पूरब की ओर पीछे से चतुर्थ स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-2.50	5300	550	
21	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पाटर्स की दुकान से आगे पूरब की ओर पीछे से पंचम स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-2.50	5300	550	

22	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पादर्स की दुकान से आगे पुरब की ओर पीछे से बंन्दोबस्ती स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-2.50	5300	550	
23	ज्योति चौक के U/S में स्केप चैनल के दायें बैंक पर दीपक ऑटो रिपेयरिंग एण्ड पादर्स की दुकान से आगे पुरब की ओर पीछे से सप्तम स्थल की बंदोबस्ती।	02	0-2.50	5300	550	
24	नया बस स्टैण्ड से पश्चिम तरफ स्थल की बंदोबस्ती	02	0-2.81	5500	550	

बंदोबस्ती का शर्त :-

1. डाकमें भाग लेने वाले ईच्छुक व्यक्ति जमानत की राशि जमा करने के बाद ही डाक में भाग लेंगे। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक बोली की रकम जमा करनी होगी। सफल डाकवक्ता को डाक की प्रक्रिया समाप्ति के तुरन्त बाद डाक की पूरी राशि एक मुश्त में जमा करना होगा।
2. यदि उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोले गये राशि पर बन्दोबस्ती नहीं ली जाती है तो उसके जमानत के रूप में जमा की गयी राशि को जप्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय डाकवक्ता के साथ बन्दोबस्ती की कार्यवाई की जायेगी एवं अन्य व्यक्ति की जमानत की राशि को उसी समय वापस कर दी जायेगी।
3. डाक की कार्यवाई या किसी भी समय किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का एवं बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. निलामी की सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा होन के पश्चात ही निलामी कर्ता को भरपाई रसीद दी जायेगी।
5. विभागीय भू-भाग की विभाग/सरकारी आवश्यकता पड़ने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है। बंदोबस्तीकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं डाक की राशि वापस नहीं की जायेगी।
6. बन्दोबस्ती होने से यातायात को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुचानी चाहिए।
7. सैरातो की गई बन्दोबस्ती परसिर के अन्दर किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित है।
8. उपर्युक्त शर्तों को नहीं मानने पर किसी भी बन्दोबस्ती रद्द की जाती सकती है।
9. ग्रुप संख्या 01 से ग्रुप संख्या 24 तक की निलामी वर्ष 2026-2027 तक के लिए ही की जायेगी। यह बन्दोबस्ती 31.03.2027 तक ही मान्य होगा।

ए०/-

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर।

पत्रांक 192/

बक्सर, दिनांक 20.07.2026

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जन सर्मर्क पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, पटना को बन्दोबस्ती आम सूचना की 01 प्रति एवं सी0 डी0 सहित हिन्दी के दैनिक समचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ संप्रेषित।

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
20.07.26

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर।